



18	न्यूरो-अथलमोलोजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	एसओसी	(45)	0	0	0
19	न्यूरो-पैथालोजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित	(68)
20	न्यूरोसर्जरी	1	अनारक्षित	(26)	0	0	0	0	0	0
21	नेफ्रोलोजी, (मेडिसिन)	0	0	0	1	अनारक्षित	(18)	0	0	0
22	नेफ्रोलोजी, (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	अनारक्षित	(46)	1	एसओसी	(69)
23	पीडियाट्रिक्स	0	0	0	1	एसओसी	(93)	1	1 (सह-लगावकालीन) 1 सहायक अचार्य कम शैक्षिक विलक्षणता	ईओडब्ल्यूएसओ (30) ईओडब्ल्यूएसओ (70) ओबीओसी (139) ईओडब्ल्यूएसओ (140) ईओडब्ल्यूएसओ (170) ओबीओसी (171)
24	पेन-मेडिसिन (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	एसओटी	(47)	1	ओबीओसी	(71)
25	फार्माकालोजी	1	एसओसी	(49)	1	एसओसी	(25)	1	1 (सह-लगावकालीन) 1 सहायक अचार्य	अनारक्षित (32) एसओसी (93)
26	फिजियोलोजी	0	0	0	1	अनारक्षित	(34)	1	ओबीओसी	(95)
27	फिजिकल एड्ड मेडिकल रिहैबिलिटेशन (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	अनारक्षित	(48)	1	एसओसी	(73)
28	फोरेंसिक मेडिसिन	1	अनारक्षित	(52)	0	0	0	1	अनारक्षित	(96)
29	बायोकेमिस्ट्री	1	ओबीओसी	(51)	1	अनारक्षित	(98)	1	एसओटी	(147)
30	माइक्रोबायोलोजी	0	0	0	1	एसओटी	(97)	1	एसओसी	(149)
31	मेडिकल गैस्ट्रोलाजी (मेडिसिन)	0	0	0	1	एसओसी	(31)	0	0	0
32	मेडिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोलाजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	ईओडब्ल्यूएसओ	(50)	1	अनारक्षित	(74)
33	यूरोलॉजी	1	अनारक्षित	(48)	0	0	0	0	0	0
34	रेडियोलॉजी	1	ओबीओसी	(37)	1	ईओडब्ल्यूएसओ	(30)	1	ओबीसी	(37)
					1	अनारक्षित	(98)	1	अनारक्षित	(38)
					1	एसओसी	(99)	1	अनारक्षित	(56)
					1	ईओडब्ल्यूएसओ	(100)	1	अनारक्षित	(152)
					1	एसओसी	(101)	1	एसओसी	(153)
					1	अनारक्षित	(102)	1	अनारक्षित	(154)
					1			1	ओबीओसी	(155)
					1			1	अनारक्षित	(156)
					1			1	ओबीओसी	(157)
					1			1	ओबीओसी	(161)
35	साइकियेट्री	1	अनारक्षित	(68)	1	ओबीओसी	(103)	1	अनारक्षित	(58)
					1	अनारक्षित	(108)	1		
		21			66			88		

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं:-

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹0-1,35,000/-, सह आचार्यों का नियत वेतन ₹0-1,20,000/- तथा सहायक आचार्यों को नियत वेतन ₹0-90,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अहर्ताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
- शासनादेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्ति चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
- शासनादेश सं-582/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
- चयन से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अभ्यर्थी तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को पूर्ववर्ती अभ्यर्थी पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
- चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अहर्ता/शैक्षिक अनुभव 30 प्रो राज् चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
- ओपीओडी के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
- कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
- उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
- संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेंगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रभानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होंगे।
- चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
- संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
- अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिवृत्त तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।
- उपरोक्त शासन, कार्मिक अनुभाग-2, उपरोक्त लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II दिनांक 18-02-2019 के अन्तर्गत ईओडब्ल्यूएसओ (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल वार्षिक आय ₹0 8.00 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिवार्य अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नेट पर देखा जा सकता है।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अहर्ता नवीन एनओएसओसी गाइड लाइन के अनुसार अनुमन्य होगी।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों का समायोजन होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

सं-407/सद्विनांक

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उपरोक्त लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित एवं वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

2- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उपरोक्त।

3- नोडल अधिकारी वेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रधानाचार्य  
मेडिकल कालेज, कानपुर

प्रधानाचार्य  
मेडिकल कालेज, कानपुर